न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 67/2021 निर्णय दिनांकः— 15-7-22
(जीसीएमएस संख्या 2021/279)

1. हेतराम पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी चक 20 बीएसएम तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बज्जू।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी बज्जू
दिनांक 22—10—2021

उपस्थितः

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी बज्जू के निर्णय व डिक्री दिनांक 22—10—2021 जिसके द्वारा अपीलांट् को पक्षकार स्थापित किये बिना अपीलांट् की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि को कानून के विपरीत जाकर निरस्त किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि तहसील बज्जू के चक 20 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 88/19 के किला नम्बर 6 ता 15 तादादी 9 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। जिस पर अपीलांट् द्वारा बैंक लोन लिया हुआ है तथा वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् द्वारा नियमित रूप से काश्त की जा रही है। अपीलांट् के उक्त तथ्य की ताईद विगत् अर्थात सवंत् 2078 की खसरा गिरदावरी से होती है जिसमें अपीलांट की मूंगफली काश्त बताई गई है।जिसे अपीलांट ने सरकार के समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र पर विक्रय की है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित है कि अपीलांट् द्वारा आराजी जैर पर कभी भी अवैध खनन का कार्य नहीं करते हुए कृषि कार्य किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् के माता व पिता के नाम से इसी मुरब्बा नम्बर के किला नम्बर 1 ता 5 तादादी 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि में अपीलांट् की भूमि को शामिल करते हुए व अपीलांट् के विरूद्व धारा 177 आरटीए के तहत विधि विरूद्व तरीके से कार्यवाही करते हुए अपीलांट् की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है।

उन्होनें आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा धारा 177 के तहत पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया। उक्त रिपोर्ट में अभिलिखित किया गया कि चक 20 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 88/49 के किला नम्बर 1 ता 5 तादादी 4 बीघा 17 बिस्वा कमाण्ड हरिराम पुत्र रामचन्द्र, गुड्डी देवी पत्नी हरीराम जाति जाट व किला नम्बर 6 ता 15 कमाण्ड हेतराम पुत्र हरिराम की खातेदारी भूमि है। दिनांक 17–2–2018 को मौका निरीक्षण में उक्त मुरब्बा नम्बर में स्वीकृतशुदा एसटीपी एक हेक्टर से ज्यादा जिप्सम खनन होना पाया गया है जोकि अवैध खनन है। संबंधित पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट किसके आदेश से की गई, व अवैध खनन कब और किसके द्वारा किया गया है, अंकित नही किया गया है। इसके अलावा समवर्ती काश्तकारों के बयान भी नहीं लिये गये है। मौका रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि खनन कौनसे किले में किया गया है। इसलिए फर्द मौका एकतरफा किया गया है जिसे अदालत मातहत ने आधार बनाकर विधि विरुद्व कार्य किया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अदालत मातहत को दावे में तनकियांत कायम कर साक्ष्य लेने चाहिए थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की प्रक्रिया के विरुद्व वाद का निस्तारण किया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट् द्वारा मौके पर कभी भी खनन का कार्य नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा पटवारी की रिपोर्ट जिसमें अभिलिखित है कि मौके पर 08 बीघा पर अवैद्य खनन किया गया है जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की सम्पूर्ण भूमि को आराजीराज करने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वादपत्र में अपीलांट् को पक्षकार ही स्थापित नहीं किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत की कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में जिन किलों पर अवैद्य खनन होना बताया जा रहा है उक्त किलों पर अपीलांट् ने मूंगफली की फलस काश्त कर रखी है। अपने कथन के समर्थन में अपीलांट्स द्वारा खसरा गिरदावरी संवत् 2078 की प्रमाणित प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट् के विरूद्व साजिश करते हुए अवैध खनन की रिपोर्ट की गई। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की कतई जॉच नहीं की गई है कि क्या उक्त रिपोर्ट सही रूप से प्रस्तुत की गई है अथवा नहीं? जबकि अपीलांट् द्वारा वादगत् भूमि पर कभी भी खनन कार्य नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में चूंकि आदेश जैर अपील अपीलांट् को पक्षकार स्थापित किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है, ऐसा आदेश कानून की परिभाषा में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी भूमि में जिप्सम का अवैध खनन करने पर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय में धारा 177 आरटीए के तहत वाद पेश किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट द्वारा अपनी कृषि भूमि पर अकृषि कार्य अर्थात जिप्सम निकालनें का कार्य किया गया है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया है। जो कृषि भूमि को हानि पहुँचाने वाला कार्य है। अपीलांट का उक्त कृत्य आवंटन नियमों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया के अनुसार वाद का निस्तारण किया है जो कायम रखा जावे एवं अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) उपखण्ड अधिकारी बज्जू के समक्ष तहसीलदार राजस्व ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त वाद में तहसीलदार, बज्जू द्वारा अभिकथन किया गया कि वादगत् भूमि जो कृषि कार्य हेतु प्रतिवादी को आवंटित की गई थी, पर अकृषि कार्य अर्थात अवैद्य खनन का कार्य किया जा रहा है। अतः प्रतिवादी को आवंटित भूमि को पुनः रकबाराज धोषित किया जावे। अदालत मातहत द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि को आराजीराज दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) हमने अदालत मातहत की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया। संबंधित पटवारी द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकन किया गया है कि वह मौके पर पहुँचा, मौके पर कोई उपस्थित नहीं मिला। संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वादगत् भूमि के मौके की रिपोर्ट तैयार करते समय न तो खनन विभाग के किसी प्रतिनिधि को शामिल किया गया व ना ही मौके के फोटोग्राफ आदि ही प्रस्तुत किये गये है। जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर क्या वास्तव स्वीकृतशुदा लीज से अधिक भूमि पर खनन का कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं? मौके पर वास्तव में खनन कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है इसका भी उल्लेख

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पटवारी रिपोर्ट में अंकित नहीं है। मौका रिपोर्ट पर केवल मात्र पटवारी के हस्ताक्षर है उसके अतिरिक्त मौके पर उसके साथ उपस्थिति अन्य किसी व्यक्ति के ब्यान रिपोर्ट में अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत रिपोर्ट अधूरी व एकमात्र पटवारी द्वारा ही तैयार किया जाना साबित है।

(3) इस संबंध में हमारा अभिमत है संबंधित पटवारी जो उसी हल्के का पटवारी है, उसे वादगत् भूमि पर खनन किये जाने की स्थिति की जानकारी पूर्व में ही होनी चाहिए थी तथा संबंधित पटवारी को ही उक्त आश्य की सूचना तहसीलदार को भूमि धारक होता है प्रेषित की जानी चाहिए थी व पक्षकार जिसके द्वारा अवैद्य खनन किया जा रहा है उसके विरूद्व नियमानुसार संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जानी चाहिए थी। इन सभी से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपने दायित्यों का भलींभांति निर्वहन नहीं किया गया है।

(4) वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में हरीराम पुत्र रामचन्द्र व गुड्डी देवी पत्नी हरीराम के नाम से दर्ज भूमि होने पर भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स जोकि आराजी जैर का खातेदार काश्तकार है को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट्स के खातेदारी अधिकारों को विधि विरूद्व तरीके से समाप्त किया गया है। जबकि अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वादपत्र में प्रतिवादी को सुनवाई व जबाव का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। वाद में साक्ष्य लेकर न्यायिक विवेचना करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था किन्तु इस प्रकरण में वाद प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, केवल मात्र स्टेट के वाद में बिना प्रक्रिया अपनाये, बिना साक्ष्य लिये सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ है तथा वह किसके द्वारा किया गया है, अपीलांट मौके पर काबिज है या नही ? इन तथ्यों की समुचित जांच की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(5) अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य की भलींभांति जॉच की जानी चाहिए थी क्या वास्तव में अपीलांट द्वारा ही वादगत् भूमि पर स्वीकृतशुदा लीज से अधिक भूमि पर खनन का कार्य किया जा रहा है। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की खातेदारी भूमि को आराजीराज करने के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में बिना वाद प्रकिया को अपनाये ही अपीलांट् की भूमि को आराजीराज दर्ज किया जाना किसी भी परिस्थिति में युक्तियुक्त व न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

(6) अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व खनन विभाग के प्रतिनिधि के साथ टीम गठित करते हुए मौका निरिक्षण किया जाना चाहिए था तथा आस–पड़ौस के व्यक्तियों के ब्यान व मौके के फोटोग्राफ आदि लिये जाने चाहिए थे ताकि वादगत् भूमि के बाबत् सही स्थिति प्रकट हो सकती। अदालत मातहत द्वारा आनन–फानन में केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो पुष्टि योग्य आदेश नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, बज्जू का आदेश दिनांक 22–10–2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के खाताधारकों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14-07-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

14/7/2022

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर